

प्रेषक,

अभियान कौशल
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 20/02/2020

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019–20 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 05 अदद मध्यम सिंचाई योजना/बाँध के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रूपये 30.937 लाख (रूपये तीस लाख तिरानबे हजार सात सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-77 / 2017–18, दिनांक – 12.02.2018; Online AA- 2162, Dated- 13.02.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दरशाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101—सतही जल/ 20—पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05—निर्माण/ 45—निर्माण कार्य विपत्र कोड़— 50S470200101200545	30.937

आवंटित राशि – रु तीस लाख तिरानबे हजार सात सौ मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष 2019–20 के संशोधित बजट उपबंध राशि रु. 6200.00 लाख (वासठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिषेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा बन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

अमिताभ कौशल
सचिव

ज्ञापांक :— 257

रॉची, दिनांक :— 20/02/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गढ़वा/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

अमिताभ कौशल
सचिव

ज्ञापांक :— 257

रॉची, दिनांक :— 20/02/2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांचियकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

अमिताभ कौशल
सचिव

विभागीय पत्रांक २५७

दिनांक २०/०२/२०२०

का अनुलालक

परिविष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702— लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय

लघु शीर्ष-101—सतही जल,

जप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

संशोधित बजट उपबंध (2019-20) — 6200.00 लाख
विप्र कोड— 50S470200101200545

क्र. संख्या	लघु सिंचाई प्रमाणित का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वर्ष 2019-20 में					योजना पर ^(राशि लाख में) कुल अवृत्तन आवृत्तन (10+13)	Online Allotment Access No.	अनुचित	
				राशि	प्रसंग	Online प्रसंग			वर्तमान आवृत्तन	कुल आवृत्तन	वर्तमान आवृत्तन	पूर्व का आवृत्तन	वर्तमान आवृत्तन	कुल आवृत्तन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	गढ़वा	गढ़वा	मण्डरिया	बंजारी म०सिंयो	का जीणो	33.665	77/2017-18 dt 12.02.2018	2162	30.395	3.080	27.000	0.510	27.510	30.590	85920		
2	गढ़वा	मण्डरिया	जहरसरई	म०सिंयो	का जीणो	36.473	32.489	3.277	29.000	0.447	29.447	32.724					
			योग :-	70.138			62.884	6.357	56.000	0.957	56.957	63.314					
1	बोकारो	बोकारो	मुहुलझी तरकारी आहर का	जीणो	45.800		41.366	0.000	40.000	1.780	41.780	41.780					
2	बोकारो	बोकारो	सिंहपुर ग्राम में सायर बाँध	का जीणो	76.083	77/2017-18 dt 12.02.2018	2162	67.675	0.000	51.000	17.360	68.360	68.360	85921			
3		पेटरवार	भगा बाँध म०सिंयो	का जीणो	42.271		35.558	0.000	28.270	10.840	39.110	39.110					
			योग :-	144.599	0.000		119.270	29.980	149.250	149.250							
			सकल योग :-	234.292			207.483	6.357	175.270	30.937	206.207	212.564					

(अमिताभ कौशल)
सचिव

मिति १० अक्टूबर २०१९